तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **राजस्व अपील संख्या 75/2019** तुलसीदेवी वगैरा बनाम श्रीमती भूरी वगैरा
17.03.2020	पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अभिभाषकगण उपस्थित। अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1500 जो नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 19.08.2019 को स्वीकृत किया गया को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री चेतनराम जाखड ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत् निर्णय दिनांक 24.02.2020 को रिकॉर्ड पर लेने बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 1500 ग्राम श्रीयादेगांव जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर एवं सहायक कलक्टर जोधपुर के निर्णय दिनांक 05.08.2019 की पालना में स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष अपील पेश की गयी, उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दिनांक 24.02.2020 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2019 को निरस्त कर दिया गया, इसीलिए अपीलाधीन म्यूटेशन निरस्त योग्य है। अपीलार्थी के अभिभाषक ने निर्णय दिनांक 24.02.2020 को रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करने का निवेदन किया। प्रत्यर्थीपक्ष के अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 24.02.2020 को अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर एवं सहायक कलक्टर जोधपुर के निर्णय दिनांक 05.08.2019 को निरस्त कर दिया गया है जिसकी पालना में उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था। अतः इस अपील का कोई महत्व नहीं है क्योंकि जिस आदेश की पालना में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था उक्त आदेश निरस्त हो जाने से नामान्तरकरण अपने आप में निरस्त है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार द्वारा पारित/स्वीकृत नामान्तरकरण को तहसीलदार स्वयं निरस्त नहीं कर सकता है। अतः निवेदन है कि आप राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 24.02.2020 की अनुपालना में नामान्तरकरण

	को निरस्त फरमावे। हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि नामान्तकरण संख्या 1500 ग्राम श्रीयादेगांव जो न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के राजस्व वाद संख्या 23/2019 के निर्णय डिक्री दिनांक 05.08.2019 आंशिक संशोधन आदेश दिनांक 14.08.2019 व तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक/भू0अ0/2019/4887 दिनांक 16.08.2019 की पालना में स्वीकृत किया गया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दिनांक 24.02.2020 को अपीलधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 को अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना-पत्र व अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1500 ग्राम श्रीयादेगांव जो न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के राजस्व वाद संख्या 23/2019 के निर्णय डिक्री दिनांक 05.08.2019 आंशिक संशोधन आदेश दिनांक 14.08.2019 व श्रीमान तहसीलदार साहब जोधपुर के आदेश क्रमांक/भू0अ0/2019/ 4887 दिनांक 16.08.2019 की पालना में स्वीकृत किया गया को एतद् निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। मदनलाल नेहरा अपर जिला कलक्टर(प्रथम) जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.06.17 11:07:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: